



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062026-273875
CG-DL-E-27062026-273875

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]
No. 171]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

मामला सं.: -एडी(ओआई)-20/2026

सेतु मामला आईडी सं.-एडी/ओआई/023/2026

विषय: रूस और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा नॉनिलफेनॉल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा.सं. 6/22/2026-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) और सीमा प्रशुल्क (क्षति के निर्धारण के लिए पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने "पैरा नॉनिलफेनॉल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. वर्तमान आवेदन-पत्र में रूस और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की मांग की गई थी। अतः, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में रूस और ताइवान को संबद्ध देश माना है।
3. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से पैरा नोनीफेनॉल के पाटित आयातों से वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद रूस और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा नॉनिलफेनोल" है (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "पीएनपी" कहा गया है)।
5. पैरा नोनीफेनॉल एक रासायनिक यौगिक है, जिसे 4-नोनीफेनॉल के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं में एक मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है। यह एक पारदर्शी, चिपचिपा तरल है जो फेनोल के एल्काइलेशन द्वारा निर्मित होता है। पीएनपी कुछ कार्बनिक विलायक में घुलनशील है लेकिन पानी में कम घुलनशील है। पीएनपी का रासायनिक सूत्र और संरचना C15H24O है।

माप की इकाई

6. विचारधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई एमटी/किलोग्राम है।

प्रशुल्क वर्गीकरण

7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के तहत विशेष रूप से उप-शीर्ष 29071300 के तहत वर्गीकृत किया गया है। आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात किसी अन्य शीर्ष/प्रशुल्क मद के तहत किया जा सकता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
8. आवेदक ने अपने आवेदन-पत्र में किसी उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार जांच शुरू करने की सूचना की प्राप्ति के परिचालन के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, दे सकते हैं और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध सामान और आवेदक द्वारा निर्मित सामान तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता आवेदक द्वारा निर्मित संबद्ध सामानों और समान वस्तुओं का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु मानी गई है।

ग. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच में संबद्ध देश रूस और ताइवान हैं।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

11. आवेदक ने शुरू में जांच की अवधि 9 माह अर्थात् 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 (9 माह) और क्षति की जांच की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित की थी। इसके बाद, आवेदक ने कहा है कि अथॉरिटी जांच की अवधि को

12 महीने, यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक बदलने का फ़ैसला कर सकती है, क्योंकि इससे डंपिंग, नुकसान और इनके बीच के कारण-संबंध का ज़्यादा सटीक और व्यापक आकलन हो सकेगा। अतः, प्रस्तावित संशोधित अवधि को जांच के उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना गया है और तदनुसार प्राधिकारी ने वर्तमान जांच (जिसे इसके बाद "पीओआई" कहा गया है) के लिए जांच की अवधि ("पीओआई") को 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) और क्षति की जांच की अवधि को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक मानने का निर्णय लिया है।

ड. घरेलू उद्योग और आधार

12. आवेदन-पत्र मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और संबद्ध देशों के उत्पादकों और निर्यातकों से संबद्ध नहीं है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में उनका हिस्सा 99% से अधिक है।
13. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के मद्देनज़र, प्राधिकारी *प्रथम दृष्टया* मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की आवश्यकता को पूरा करता है।

च. तथाकथित पाटन का आधार

क) रूस के लिए सामान्य मूल्य

14. याचिकाकर्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उन्होंने रूस में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमतों या उत्पादन लागत की सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया है, तथापि, सफल नहीं हो सके क्योंकि उक्त सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने उचित लाभ मार्जिन के लिए समायोजित उत्पादन लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार रूस के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।
15. यह भी उल्लेख किया गया है कि सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए, याचिकाकर्ता ने कच्चे माल और यूटिलिटियों की लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों को अन्य विनिर्माण और सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ मार्जिन के साथ लिया है ताकि कारखानागत सामान्य मूल्य निकाला जा सके। जांच शुरू करने के उद्देश्य से इस पर विचार किया गया है।

ख) ताइवान के लिए सामान्य मूल्य

16. याचिकाकर्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उन्होंने ताइवान में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमतों या उत्पादन लागत की सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया है, हालांकि, सफल नहीं हो सके क्योंकि उक्त सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने उचित लाभ मार्जिन के लिए समायोजित उत्पादन लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार ताइवान के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।
17. यह भी उल्लेख किया गया है कि सामान्य मूल्य निर्मित करने के लिए, याचिकाकर्ता ने कच्चे माल और यूटिलिटियों की लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों के साथ अन्य विनिर्माण और सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उपयुक्त लाभ मार्जिन को लिया है ताकि कारखानागत सामान्य मूल्य निकाला जा सके।

ग) निर्यात कीमत

18. आवेदक ने अपनी बाज़ार आसूचना के अनुसार आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करके संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। तथापि, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से, कारखानागत निर्यात कीमत का पता लगाने के लिए डीजी सिस्टम डेटा आंकड़ों को अपनाया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा और अन्य खर्चों के निम्न समायोजन किए गए हैं।

घ) पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किये जा रहे हैं।

छ. क्षति का साक्ष्य और कारणात्मक संपर्क

20. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। संबंधित देशों से संबंधित आयात की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष, दोनों ही रूपों में वृद्धि का साक्ष्य है। संबद्ध आयात का घरेलू उद्योग की लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

21. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य बनाने के लिए, तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए तथाकथित पाटन और मौजूदा क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क तथा घरेलू उद्योग को क्षति का संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन का प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

22. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संतुष्ट होने पर, विचाराधीन उत्पाद के तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा उस क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

झ. प्रक्रिया

23. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ब. सूचना प्रस्तुत करना

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के तहत सेतु मामला सं. - एडी/ओई/023/2026 पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

25. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें। यह सभी सूचनाएं इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों, जांच की शुरुआत में निर्धारित स्वरूप और तरीके से वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
28. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in>) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी-एडी/ओआई/023/2026 के तहत सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए।
30. प्रत्येक अनुरोध के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
31. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
32. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 30 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
33. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण समय का विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते हैं, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
34. समय विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा ऊपर निर्धारित मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

35. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।

36. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।
37. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना' माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
38. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।
39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः सूचीबद्ध या ब्लैकड आउट (जहां सूचीकरण संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए। अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।
40. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
41. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।
42. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
- ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**
43. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।
- ढ. असहयोग**
44. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2026

Case No. AD(OI) - 20/2026**SETU Case ID – AD/OI/ 023/2026****Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Para Nonylphenol originating in or exported from Russia and Taiwan”.**

F. No. 6/22/2026-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules” or the “Anti-dumping Rules”), SI Group India Private Limited (hereinafter also referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Para Nonylphenol.

2. The present Application sought anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from Russia and Taiwan. Hence, the Authority has considered Russia and Taiwan as the subject countries in the present investigation.
3. The applicant has alleged that dumped imports of the Para Nonylphenol from the subject countries are causing material injury and has requested the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

4. The product under consideration in the present application is “**Para Nonylphenol** originating in or exported from **Russia and Taiwan**” (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC” or “PNP”).
5. **Para Nonylphenol** is a chemical compound, also known as 4-nonylphenol. It is used as an intermediate in various chemical reactions. It is a transparent, viscous liquid produced by alkylating phenol. PNP is soluble in certain organic solvents but less soluble in water. The chemical formula and structure of PNP is C₁₅H₂₄O.

Unit of measurement

6. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is MT/KG.

Tariff classification

7. The PUC is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act specially under the sub-headings 29071300. The applicant has also alleged the imports of PUC may be made under any other heading/tariff items. However, the customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.
8. The Applicant has not proposed any product control numbers (PCN) methodology in its application. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of PUC and propose product control numbers (PCN) methodology, if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation.

B. LIKE ARTICLE

9. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject countries. The article produced by the applicant and that imported from the subject countries is comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that the consumers of the product under consideration are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject countries.

C. SUBJECT COUNTRIES

10. The subject countries in the present investigation are **Russia and Taiwan**.

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

11. The applicant initially proposed Period of Investigation for 9 months i.e. 1st April 2025 to 31st December 2025 (9 Months) and the injury investigation period as 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the POI. Subsequently, applicant has submitted that the Authority may decide to revise the period of investigation for 12 months i.e. 1st April 2025 to 31st March 2026 as it would enable a more accurate and comprehensive assessment of dumping, injury, and causal link. Hence, the revised period has been considered appropriate for the purpose of the investigation and accordingly the Authority has decided to consider the period of investigation (POI) for the present investigation (hereinafter referred to as "POI") as 1st April 2025 to 31st March 2026 (12 months) and the injury investigation period as 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

12. The application has been filed by M/s. SI Group India Private Limited. The applicant has submitted that they have not imported the subject goods from the subject countries and is not related to producers and exporters from the subject countries. The applicant has submitted that their share in the total Indian production of the PUC is more than 99%.
13. In view of the information furnished by the applicant, the Authority *prima facie* considers that the Applicant constitutes an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the requirement of Rule 5(3) of the AD Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING**a. Normal Value for Russia**

14. It is submitted by the petitioner that they have attempted to avail the information of domestic selling prices or the cost of production of the PUC in Russia, however, could not succeed as the said information is not available in the public domain. Therefore, the petitioner has constructed the normal value for Russia as per the best available estimates of the cost of production of as adjusted for reasonable profit margin.
15. It is also stated that in order to construct the normal value, the petitioner has taken the best available estimates of raw material and utilities cost with addition of other manufacturing and general and administrative overheads and reasonable profit margin to arrive at the ex-factory normal value. The same has been considered for the purpose of initiation of the investigation.

b. Normal Value for Taiwan

16. It is submitted by the petitioner that they have attempted to avail the information of domestic selling prices or the cost of production of the PUC in Taiwan, however, could not succeed as the said information is not available in the public domain. Therefore, the petitioner has constructed the normal value for Taiwan as per the best available estimates of the cost of production of as adjusted for reasonable profit margin.
17. It is also stated that in order to construct the normal value, the petitioner has taken the best available estimates of raw material and utilities cost with addition of other manufacturing and general and administrative overheads and reasonable profit margin to arrive at the ex-factory normal value.

c. Export Price

18. The Applicant has determined the export price for the subject countries by considering the volume and value of imports as per its market intelligence. However, for the purpose of the determining export price of subject goods from subject countries, DG systems data has been adopted for ascertaining ex-factory export price. Adjustments on account of ocean freight, marine insurance and other expenses have been made.

d. Dumping Margin

19. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject countries. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

G. EVIDENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

20. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject countries has increased in both absolute and relative terms. There is evidence of price suppression and depression due to imports. The subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry.
21. From the foregoing, the Authority *prima facie* finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove injury to the domestic industry.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

22. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

23. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

24. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding SETU Case ID no. No - AD/OI/ 023/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
25. The known producers/exporters in subject countries, the Government of subject countries through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
26. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
28. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. TIME LIMIT

29. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case ID – AD/OI/ 023/2026.
30. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns **within 37 days** from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

31. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
32. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 30 above of this Initiation Notification.
33. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.
34. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

35. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
36. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
37. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
38. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
39. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
40. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
41. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
42. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

43. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

N. NON-COOPERATION

44. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority